सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 2/2018

बउनवान

श्री हारून खां, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कोटा जोन, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि. एवं स्वा. सेवाय, जानकाटा

(प्रार्थी)

बनाम

श्री संजय गुर्जर पुत्र श्री रामदयाल गुर्जर निवासी– वार्ड नं. 12, छीपा मोहल्ला, मंडोला जिला बारां मेसर्स श्री देवनारायण दूध डेयरी, बाबजी नगर, बारां **(मालिक एवं विक्रेता)**

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. बारां (प्रार्थी की ओर से)

निर्णय दिनांक 13.07.2018

प्रकरण श्री हारून खां, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कोटा जोन, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि. एवं स्वा. सेवायें, जोन कोटा द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.01.2017 को समय सांय 3.30 पी.एम. पर मेसर्स श्री देवनारायण दूध डेयरी, बाबजी नगर, बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री संजय गुर्जर पुत्र श्री रामदयाल गुर्जर **(मालिक एवं विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि वहां पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध** लगभग 10 लीटर की मात्रा में एक एल्यूमिनियम की केन में रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर उसमें से **मिश्रित दूध** विक्रेता से **02** लीटर वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 80/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **मिश्रित दूध 02 लीटर** को एकरूप करके कांच की बोतलों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदे डालकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जोन कोटा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर उपर से नीचे तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा **श्रीमान् खाद्य विश्लेषक**, **कोटा** को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ एवं उप निदेशक कार्यालय जोन–कोटा को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को श्रीमान् डी.ओ. एवं उप निदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि. एवं स्वा. सेवायें, जोन कोटा के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/46(4)/2016/38 दिनांक 23.01.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 4/FSSA/Kota/Act/2017/4 दिनांक 17.01.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **मिश्रित दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम एक पेशी पर स्वंय उपस्थित हुआ एवं उसके बाद अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस प्रार्थी के प्रतिनिधि की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी के प्रतिनिधि ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने एकपक्षीय बहस प्रार्थी पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ **मिश्रित दूध** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को कुल 5,000/– अक्षरे पांच हजार मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)